अति महत्वपूर्ण

सर्वोच्च प्राथमिकता।

समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

नेपाल में गंडक के कैचमेंट क्षेत्र से वाटर डिसचार्ज में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण गोपालगंज जिले के 06 अंचल यथा–बैकुण्ठपुर, सिधवलिया, बरौली, मांझा, गोपालगंज एवं कुचायकोट अंचल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित अंचलों में तत्काल राहत शिविर एवं अन्य बाढ़ सहाय्य कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अंचलवार एक टीम गठित की जाती है। उक्त टीम में निम्नांकित पदाधिकारियों को नामित करते हुए उन्हें निम्न रूप में अंचल आवंटित किया जाता है।

क्रमांक	टीम में नामित पदाधिकारी का नाम/पदनाम	कार्य क्षेत्र अंचल का नाम
1	श्री दयानन्द मिश्र, उप विकास आयुक्त, गोपालगंज श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज	बैकुण्ठपुर अंचल
2	श्री विमल कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज श्री जयप्रकाश नारायण सिंह, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	सिधवलिया अंचल
3	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज श्री शैलेश कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज	बरौली अंचल
4	श्री सतेन्द्र कुमार चौधरी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज	मांझा अंचल
5	श्री धनंजय कुमार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदा0, गोपालगंज श्री राकेश कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज	गोपालगंज अंचल
6	श्री जयशंकर प्रसाद, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज	कुचायकोट अंचल
7	श्री राजीव रंजन सिन्हा, वरीय उप समाहर्त्ता, गोपालगंज श्री डी0पी0 शाही, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपालगंज	त्वरित कार्रवाई बल (क्यू0आर0टी0)
8	श्री शिव नारायण सिंह, अपर समाहर्त्ता लोक शिकायत निवारण, गोपालगंज श्री परमानन्द साह, वरीय उप समाहर्त्ता, (आपदा शाखा), गोपालगंज	जिला नियंत्रण कक्ष

टीम में नामित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने आवंटित अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यथाशीघ्र पहुँचकर निम्नांकित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगेः–

1. राहत सामग्री/बचाव कार्य – सभी संबंधित पदाधिकारी अपने अंचलों में उपस्थित होकर बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या/शरण स्थली/राहत सामग्री एवं अन्य आपदा सहाय्य का आकलन करेंग। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बाढ़ प्रभावित परिवारों में तत्काल प्रभाव से आपदा सहाय्य एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण सुनिश्चित करायेंगे ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला स्तर से एम0डी0आर0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0 की टीम प्रतिनियुक्त की गई है। अतः सर्वप्रथम संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उक्त दल किन स्थलों पर कार्य कर रहा है एवं किन स्थलों पर तत्काल बाढ़ से घिरे व्यक्तियों को निकालने का कार्य कराया जाना है। इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री परमानंद साह,वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा शाखा, गोपालगंज के रूप में नामित किया जाता हैं।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आवावी निष्क्रमण के बाद उपयुक्त स्थलों पर राहत शिविर चलायेंगे। शिविर में विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में अन्य व्यवस्थाओं के अतिरिक्त निम्न व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखेंगे।

   i. शिविर में आए हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करायेंगे। भोजन हेतु वर्तन का वितरण विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में तत्काल कराया जाय इसके साथ ही शरण स्थलियों के लिए पेयजल एवं रात्रि में वैकल्पिक प्रकाश के लिए जेनरेटर एवं साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु सुनिश्चित करायेंगे। साफ–सफाई हेतु निकटवर्ती नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी का सहयोग लेंगे।

D:\Deepak_Steno\APDA\Team.docx

ii. बाढ़ राहत शिविर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से समन्यवय स्थापित कर पर्याप्त जीवन रक्षक दवाओं, हैलोजेन टैबलेट एवं ब्लीचिंग पाउडर सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य शिविर स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे जिससे कि बाढ़ पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा सके।

iii. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मवेशियों का आकलन कर लेंगे तथा संबंधित प्रखंड के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर राहत शिविर, ऊचें शरण स्थली में पहुँचें मवेशियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

4. वैसे बाढ प्रभावित क्षेत्र जहाँ प्रभावित परिवार उसी क्षेत्र के निकटवर्ती ऊँचे शरण स्थलों पर निवास कर रहे हैं, उन्हें विभागीय पत्र संख्या–3202 दिनांक 26.08.2016 के आलोक में सूखा राहत के रूप में चूड़ा/सतु/गुड़ के बजाय फुड पैकेट में भोजन सामग्री दी जाय जिसमें प्रति परिवार 10 किलो अनाज का पैकेट जिसमें चावल 05 किलोग्राम, दाल 01 किलोग्राम, 02 किलोग्राम आलू एवं नमक तथा हल्दी पाउडर (छोटा पैकेट) तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से समन्वय स्थापित कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था भी करेंगे।

5. बॉध पर या ऊँचे शरण स्थलों पर आवादी निष्क्रमण के पश्चात् बसे हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु कम्युनिटी किचेन की व्यवस्था विभागीय दिशा–निर्देशों के आलोक में तत्काल प्रभाव से कराना सुनिश्चित करेंगे। भोजन बनाने की व्यवस्था में लगे स्थानीय स्वयंसेवकों को भुगतान के आधार पर सेवा ली जाय।

6. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवादी निष्क्रमण हेतु एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सरकारी नावों एवं पंजीकृत निजी नावों की सुविधा ली जाय एवं स्थानीय स्तर पर चिन्हित गोताखोरों की सहायता ली जाय। बैकुण्पुर अंचल में वशिष्ठा कम्पनी का दो बड़ी मोटर वोट उपलब्ध है, जिमका उपयोग त्वरित रूप से आवश्यकतानुसार किया जाय।

7. बाढ़ सहायय कार्य में स्थानीय स्तर पर सभी विभागों के पदाधिकारियों/कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किया जाय।

8. बाढ़ राहत शिविरों में अनिवार्य रूप से चिकित्सा शिविर तथा सुदूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोट एम्बुलेंस के माध्यम से आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं हैलोजेन टेबलेट/ब्लीचिंग पाउडर सहित सभी चिकित्सकीय व्यवस्था करने हेतु सिविल सर्जन, गोपालगंज संबंधित प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवश्यक दिशानिर्देश देंगे तथा प्रतिदिन सायं 07.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को प्रगति से अवगत करायेंगे।

9. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गोपालगंज प्रभावित बाढ़ क्षेत्रों एवं राहत शिविर स्थलों पर उपपलब्ध पुरानी चापाकलों की मरम्मति एवं आवश्यकतानुसार नये चापाकल तत्काल प्रभाव से लगवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि पेयजल की कोई समस्या उत्पन्न म हो।

10. निकटवर्ती नगर परिषद्/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी बाढ़ प्रभावित राहत शिविरों में प्रतिदिन साफ–सफाई, ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना का छिड़काव, फॉगिंग एवं यथासंभव स्वच्छ पानी का टैंकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गोपालगंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगे हुए विद्युत पोलों से विद्युत आपूर्ति होने की स्थिति में कोई दुर्घटना घटने की संभावना न हो। यदि आवश्यक हो तो उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि जानमाल की हानि न हो।

12. बाढ़ प्रभावित संबंधित अंचलों के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में दिनांक 19.08.2017 तक शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा, लेकिन उक्त विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय में उपस्थित रहेगे ताकि आवश्यकतानुसार निकटवर्ती बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उनकी सेवा ली जा सके।

13. बाढ़ प्रभावित अंचलों एवं क्षेत्रों में पुलिस गश्ती एवं अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्था पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज सुनिश्चित करायेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाले एन0एच0-28 पर बाढ़ का पानी आने एवं बाढ़ प्रभावित लोगों की शरण स्थली के रूप में उपयोग किये जाने को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज यातायात व्यवस्था एवं अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखेंगे और कुचायकोट से महम्मदपुर तक बड़े वाहनों का आवागमन आवश्यकतानुसार बंद करेंगे। सिर्फ आपदा कार्य में लगे वाहन/सहायय सामग्रियों को ले जाने वाहनों एवं चिकित्सा वाहनों तथा सहाय्य कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/न्याययिक पदाधिकारियों का वाहन परिचालित रहेगा। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

14. **जिला नियंत्रण कक्ष** – जिले में चल रहे आवादी निष्क्रमण, सभी राहत शिविर एवं अन्य बाढ़ सहाय्य कार्यों का पर्यवेक्षण, सभी संबंधित पदाधिकारियों के बीच समन्वय एवं अन्य व्यवस्थाओं के अनुश्रवण एवं ससमय उसका अनुपालन करवाने हेतु जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष अनुमंडल कार्यालय, गोपालगंज में स्थापित है जिसका दूरभाष संख्या-06156-224601 है। इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री परमानन्द साह, वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा शाखा, गोपालगंज (मो0नं0-9801530068) एवं वरीय प्रभार में श्री शिव नारायण सिंह, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण, गोपालगंज (मो0नं0-9801628348) नामित हैं। श्री परमानन्द साह, वरीय उप समाहर्त्ता, गोपालगंज जिले में प्रतिनियुक्त सभी एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 के साथ लायजनिंग ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

बाढ़ सहाय्य कार्य में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपना मोबाईल चार्ज एवं सदैव ऑन रखेंगे तथा व्हॉट्सेप, एस0एम0एस0 एवं कॉल से प्राप्त सभी निदेश से अवगत होते हुए तत्क्षण अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें एवं साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार से प्राप्त एस0ओ0पी0 का पूर्णतः अनुपालन करायेगें।

17/08/17
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 08 मु0/आ0प्र0 गोपालगंज, दिनांक 17.08.2017

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज/अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज/उप विकास आयुक्त, गोपालगंज/अपर समाहर्त्ता, जिला लोक शिकायत निवारण, गोपालगंज/सिविल सर्जन, गोपालगंज/अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, गोपालगंज/नजारत उप समाहर्त्ता, गोपालगंज/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, गोपालगंज/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, गोपालगंज/ कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गोपालगंज/सभी संबंधित प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित अंचल अधिकारी/सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/निरीक्षक, एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0, कैम्प-गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालमार्थ प्रेषित।

17/08/17
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 08 मु0/आ0प्र0, गोपालगंज, दिनांक 17.08.2017

प्रतिलिपिः- आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचमार्थ प्रेषित।

17/08/17
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

D:\Deepak_Steno\APDA\Team.docx